



email: cfbhagi-forest-uk@nic.in  
फोन / फ़ैक्स-0135-2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती  
पत्रांक - 111 / 12-1 / दिनांक, मुनिकीरेती 03 / 5 / 2018, 1

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,  
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत आमसारी हाड़ीसेरा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.295 हे० हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/25189/2017

सन्दर्भ :- भारत सरकार द्वारा दिनांक 12-01-2018 से लगाई गई आपत्तियों/ई०डी०एस० के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The name of the road shows that the road is proposed for village Hadisera, but the same is not mentioned in village wise breakup at para-B 2.4 part-I. Further, village Level Committee meeting proceeding under FRA, 2006 is not submitted for village Hadisera.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा B 2.4 में गांववार विवरण अंकित कर दिया गया है। है तथा ग्राम पंचायत हाड़ीसेरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रपत्रों में संलग्न कर यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है ग्रामपंचायत हाड़ीसेरा की अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है। (मूल प्रति संलग्न-01)
2	The Muck disposal plan is attached as the additional document in part-I but the same is not mentioned in the component wise breakup at para-B 2.4 Part-I online.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग से उत्तसर्जित होने वाले मलवे का निस्तारण नाप भूमि में किया जायेगा जिस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भू-स्वामियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा B 2.4 में कम्पोनेन्ट वार विवरण में मक डम्पिंग हेतु चाही गयी भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है।
3	No document is found uploaded at para-L (iv) and L(v) h in part-I.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा आई०टी० सैल देहरादून द्वारा जारी जियों रेफरेन्सड मैप एवं टोपोशीट मैप तैयार करवाकर भाग-01 के पैरा L के कम संख्या-(iv) एवं (v) में पुनः अपलोड कर दिया गया है। छाया प्रति संलग्न की जा रही है। (छाया प्रति संलग्न-02)

4	Administrative Approval/Financial Senction of the competent authority of the User department for construction of this projece uploaded is not clear. May upload clear and legible scanned copy of the same.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की स्पष्ट प्रति भाग-1 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-19 मे अपलोड कर दी गयी है। सत्यापति छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है। (छाया प्रति संलग्न-03)
5	Original hard copy of part- IV & V is not submitted, which may be submitted.	बिन्दु संख्या-05 के क्रम में कार्यवाही उच्च स्तर से की जानी अपेक्षित है।
6	At para-4 (i) part-II online, Eco class is shown as eco class-V but from the enumeration list of trees it appears as eco class-III, hence State Government may review and submit the relevant document, if revised (such as NPV calculation sheed.)	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले सम्पूर्ण कक्ष का औसत घनत्व 0.30 से 0.40 है जिस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा भाग-02 के पैरा 4(i) में हरियाली का घनत्व 0.40 अंकित किया गया है। जो कि सही है कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (छाया प्रति संलग्न-04)

भवदीय

  
(राहुल)

वन संरक्षक  
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती

संख्या 1926/ , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-: प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके पत्रांक-2562/12-1(2) दिनांक-01.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(राहुल)

वन संरक्षक  
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती

